



Neutral Citation No. -2026:AHC:16373

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 4009 वर्ष 2025

अमर सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: राजेश सिंह राठौर

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., शेर बहादुर सिंह

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश सिंह राठौर, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री शैलेश श्रीवास्तव तथा प्रतिवादी-ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शेर बहादुर सिंह को सुना गया।

2. प्रस्तुत लोकहित याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दाखिल की गई है :-

“(1) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 एवं 3 को निर्देशित किया जाए कि वे प्रतिवादी संख्या 4 अर्थात् सहायक कलेक्टर प्रथम/तहसीलदार, पूरनपुर, पीलीभीत द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत पारित दिनांक 22.8.2025 के आदेश का अनुपालन करें।

(2) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 3 एवं 4 को निर्देशित किया जाए कि वे ग्राम जलेश्वर उर्फ जगतपुर, परगना एवं तहसील- पूरनपुर, जनपद- पीलीभीत स्थित गाटा संख्या 115, क्षेत्रफल 0.0150 हेक्टेयर, श्रेणी 6-2/गैर-कृषि भूमि/चक मार्ग पर प्रतिवादी संख्या 6 एवं 7 के अतिक्रमण तथा अवैध कब्जे को विधि के अनुसार, दिनांक 20.9.2025 के आवेदन के अनुसरण में, हटाएं।”

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि गाटा संख्या 115, जो राजस्व अभिलेखों में चक मार्ग के रूप में दर्ज है, के संबंध में निजी प्रतिवादियों के विरुद्ध तहसीलदार द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत बेदखली एवं हर्जाना का अंतिम आदेश पारित किए जाने के बावजूद उक्त आदेश का स्थल पर अनुपालन नहीं किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विवादित भूखण्ड से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने हेतु उपयुक्त निर्देश जारी किया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही में पारित आदेश के क्रियान्वयन/निष्पादन हेतु प्रस्तुत लोकहित याचिका पोषणीय नहीं है।
5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।
6. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि विवादित भूखण्ड के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा बेदखली एवं हर्जाना का आदेश पारित किया गया है।
7. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अधीन पारित आदेश के निष्पादन हेतु उपचार उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय पुस्तिका के पैरा 460 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है; अतः उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत पारित आदेश के क्रियान्वयन/निष्पादन के लिए प्रस्तुत लोकहित याचिका पोषणीय नहीं है।
8. तदनुसार, प्रस्तुत लोकहित याचिका इस अवलोकन के साथ निरस्त की जाती है कि उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय पुस्तिका के पैरा 460 में निहित प्रावधानों के अनुसार विधि सम्मत उचित कार्यवाही आरंभ की जा सकती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 22, 2026

सी.प्रकाश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।